ऑन लाईन नं. RCMS 2022/4

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 04/2022

1. राम सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख साकिन चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पाल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख साकिन चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. अरूड़ सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख साकिन चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. इकबाल सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह माता–सुन्दरा बाई जाति रायसिख निवासी चक 4 एस.एव.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रकाश कौर पुत्री श्री मंगल सिंह माता–सुन्दरा बाई जाति रायसिख निवासी चक 4 एस.एव.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सतपाल सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह माता–सुन्दरा बाई जाति रायसिख निवासी चक 4 एस.एव.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध यकतरफा विरास्त नामान्तरकरण संख्या–1074 जो विधि विरूद्ध अपीलांटस की जरिये पंजीबद्ध बैयनामेजात दिनांक 26.12.1979 से कय की गई चक 3 सी.बड़ी के मुरब्बा नम्बर 07 के 12.10 बीघा आराजी में से 1581/12650 हिस्सा का नामान्तरकरण बहिस्सा बराबर रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 के हक में उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान शिविर में दिनांक 10.12.2021 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :–

1.श्री सुल्तान सिंह बुडानिया , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री राजेश कुमार गुम्बर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :–23.12.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि विरास्तन नामान्तरकरण संख्या–1074 का स्वीकृति एकतरफा आदेश जेर अपील दिनांक 10.12.2021 खिलाफ कानून, वाक्यात व इन्साफ होने की वजह से काबिल निरस्ती है। प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या–1074 सलंग्न है।

2. यह कि अपीलान्टस ने सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष वाद पत्र इन कथनों के साथ पेश किया था कि हिन्द पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 07 की 25 बीघा नहरी कृषि भूमि 6 जीवों के आधार पर बतौर नॉन–क्लेमेन्ट पुख्ता आवंटित की गई थी। उक्त भूमि आवंटन

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के सामय परिवार के सदस्यों में 1 राम सिंह–स्वयं, 2. किशना बाई औरत, 3. मखन सिंह–लड़का, 4 हाकम सिंह–भाई, 5 सदाबाई–माता, 6 बाई–बहिन इस प्रकार कुल छः सदस्य थे जिसका पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित आराजी में बहिरसा बराबर का हक था जिसका अंकन पुनर्वास विभाग के बेसिक रजिस्टर में अंकित है जिसकी कुछ किश्तें भी खजाना राज में जमा करवाई गई, उसके बाद आवंटित सदस्यों के पूर्वज श्री शंकर सिंह के रजिस्टर्ड क्लेम के पेटे उक्त आवंटित आराजी का समायोजन दिनांक 28.06.1957 को किया जाकर कोई राशि बकाया नहीं होने का अंकन बेसिक रजिस्टर में अंकित है। बेसिक रजिस्टर की चित्र प्रतिलिपि सलंग्न है।

3. यह कि श्री शंकर सिंह जिनके रजिस्टर्ड क्लेम के पेटे चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 7 की 25 बीघा आराजी का समायोजन किया गया के दो पुत्र अजनाम 1. राम सिंह 2.हाकम सिंह थे, जिन्होने आपसी सहमति से आराजी का मौखिक घरू बंटवारा कर लिया था जिसमें दोनों भाईयों को बहिरसा बराबर 12.10 बीघा बाराजी आई। इस आपसी घरू बंटवारा में राम सिंह के हिस्सा में चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 11 का 1 बीघा, किला नम्बर 12 का 1 बीघा, किला नम्बर 13 का 10 बिस्वा, किला नम्बर 16 ता 25 का 10 बीघा कुल 12.10 बीघा नहरी अराजी आई, जो उसने अपने जीवनकाल में ही अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए जरिये पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 20.12.1963 को मंहगा सिंह उर्फ माघ सिंह पुत्र श्री बहादर सिंह को बिलमुक्ता मुबलिग 7500/– रूपयों में विकय कर कब्जा आराजी विकय के रोज माघ सिंह के सुपुर्द कर दिया था जिस पर माघ सिंह विकय के रोज से साधिकार काबिल चला आ रहा है। हाकम सिंह उर्फ हुक्म सिंह ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की अराजी मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 01 ता 10 कुल 10 बीघा, किला नम्बर 13 की 10 बिस्वा, बीघा, किला नम्बर 14 का 1 बीघा, किला नम्बर 11 की 1 बीघा कुल 12.10 बीघा आराजी जरिये दो पंजीबद्व बैयनामों दिनांक 26.12.1979 को अपीलांटस के पिता श्री करतार सिंह व अपीलान्टस को विकय कर कब्जा आराजी विकय के रोज अपीलान्टस के पिता व अपीलान्टस को सुपुर्द कर दिया था, जिस पर विकय के रोज से अपीलान्टस का पिता व अपीलान्टस साधिकार लगातार काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 07 में आवंटित कुल 25.00 बीघा आराजी का बेचान सन् 1963 व 1979 को हो जाने के उपरान्त कोई भूमि इस मुरब्बा में शेष नहीं बची थी। बैयनामा की प्रतियां सलंग्न है।

4. यह कि राम सिंह पुत्र शंकर सिंह ने अपने हिस्सा की कुल 12.10 बीघा आराजी दिनांक 20.12.1963 को विकय करने के उपरान्त अपने छोटे भाई हाकम सिंह उर्फ हुक्म सिंह के हिस्सा की 12.10 बीघा आराजी भी जैसे–तैसे सांठ–गांठ कर राजस्व रिकॉर्ड में विधि विपरित अपने नाम दर्ज करवा ली, जो राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह की मृत्यु सन् 2006 में होने के बाद इसका विरास्तन इन्तकाल राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह के वारिसान मक्खन सिंह वगैरा के नाम से दर्ज हो गया, जिस पर मक्खन सिंह वगैरा लालच के वशीभूत होकर अपीलान्टस के कब्जा काश्त में मदाख्लत बेजा करने लगे तो अपीलान्टस ने मक्खन सिंह वगैरा के विरूद्व राजस्व वाद बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेध आज्ञा का भय अस्थाई निषेध आज्ञा के आवेदन पत्र के सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया जिसमें ताफैसला वाद अस्थाई निषेधआज्ञा अपीलान्टस के हक में व मक्खन सिंह वगैरा के विरूद्व जारी की गई थी। स्थगन आदेश की चित्र प्रतिलिपियां सलंग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

5. यह कि अपीलान्टस के वाद–पत्र जो न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के यहां जेरकार था, का मक्खन सिंह वगैरा की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसमें जवाबदावा की मद संख्या–3 में यह स्वीकार किया है कि मक्खन सिंह वगैरा के पिता के हिस्सा में 12.10 बीघा कृषि भूमि थी, इसके अलावा जवाबदावा की मद संख्या–5 में हाकम सिंह उर्फ हुक्म सिंह द्वारा अपीलान्टस के हक में करवाये गये बैयनामेंजात व आराजी विवादग्रस्त की पानी की पर्चीया भी अपीलान्टस के हक में जारी होना स्वीकार किया है। जवाबदावा व पानी की पर्चीया की चित्र प्रतिलिपियां सलंग्न है।

6. यह कि आराजी विवादग्रस्त अपीलान्टस द्वारा खरीद की तिथि दिनांक 26.12.1979 से लगातार अपीलान्टस के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसके सम्बन्ध में मक्खन सिंह वगैरा के पिता राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल की 27 वर्षो की अवधि में कोई ऐतराज किसी किस्त का नहीं किया। इससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि आराजी विवादगस्त में मक्खन सिंह वगैरा का पिता राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह अपना कोई कानूनन हक नहीं मानता था।

7. यह कि आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 110/13 अनवानी राम सिंह वगैरा बनाम मक्खन सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 88–91–188–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधआज्ञा मय अस्थायी निषेधआज्ञा के आवेदन–पत्र राजस्व विविध संख्या 48/13 अनवानी राम सिंह वगैरा बनाम मक्खन सिंह वगैरा न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के यहा दिनांक 07.08.2015 को लम्बित था जिसमें अपीलान्टस के हक में व मक्खन सिंह वगैरा के विरूद्व ताफैसला वाद स्थगन आदेश जारी फरमाया हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी मक्खन सिंह पुत्र राम सिंह ने आराजी विवादग्रस्त में से 0.759 हैक्टर आराजी बैयनामा में ये गलत लिखते हुए गुरदयाल सिंह पुत्र पठाना सिंह मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 07.08.2015 को विकय करने लगा कि अपनी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक मालिक व काबिज काश्त हूँ और मेरी उक्त भूमि हर प्रकार के ऋण, रहन, भार, सरकारी व गैरसरकारी बैंक लोन आदि से पाक व साफ हालत में है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय अथवा विभाग में विचाराधीन नहीं है। कब्जा व स्वामित्व को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, पूर्व में अन्य किसी को रहन, बैय या स्थानान्तरण नहीं की हुई है, जब इसका पता अपीलान्टस को लगा तो अपीलान्टस ने उप पंजीयक/उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट को सही वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तो उन्होने बैयनामा तस्दीक तो आराजी विवादग्रस्त कर दिया लेकिन उसकी पुश्त पर नीचे नोट लगा दिया कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में उनके पत्र क्रमांकः राजस्व/14 दिनांक 06.01.2011 के अनुसार प्रकरण संख्या 141/07 में वाद लम्बित है एवं स्थगन की अवधि 22.02.2011 तक बढाई गई है। आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में अब भी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां लम्बित है जिसमें आईन्दा पेशी 17.01.2022 वास्ते बहस निर्धारित है। इसका मतलब उक्त आराजी आज के दिन भी विवादग्रस्त है। स्थगन आदेश बैयनामा एवं अपील के कुल फर्द अहकामों की चित्र प्रतिलिपियां सलंगन है।

8. यह कि पटवारी हल्का को आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां आज के दिन लम्बित अपील जिसमें आईन्दा तारीख पेशी 17.01.2022 वास्ते बहस निर्धारित है का ज्ञान पटवारी हल्का को बखूबी था, चूंकि पटवारी हल्का स्वयं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां आकर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील की पत्रावली का पूर्ण निरीक्षण कर के गई थी तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ,श्रीगंगानगर के पेशकार जी से भी इस सम्बन्ध में विचारा विमर्श किया गया था जिसमें पेशकार जी ने पटवारी हल्का को यही स्पष्ट कहा था कि इस आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में हमारे यहां अपील लम्बित है जिसमें बहस के लिए तारीख पेशी निर्धारित है इसलिए आप अपील में निर्णय होने से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने विपक्षी पक्षकार से सांठ–गांठ करके नामान्तरकरण विवादग्रस्त संख्या 1074 की प्रविष्टि दिनांक 03.09.2021 को करते हुए प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान शिविर में दिनांक 10.12.2021 को आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में बिना कोई जांच व मौका मुआयना किए व बिना आराजी विवादग्रस्त पर काबिज काश्त पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए लालच के वशीभूति होकर गलत दर्ज करते हुए शिविर के दौरान बिना किसी जांच व आधार के स्वीकृत करवा लिया जिसकी कानून कोई ईजाजत नहीं देता है। नामान्तरकरण जेर अपील काबिल निरस्ती है।

9. यह कि उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट को नामान्तरकरण प्राप्त होने पर भू–राजस्व अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व पूर्ण जांच हर प्रकार से कानूनन व नियमों के तहत करवाई जानी अथवा की जानी चाहिए थी जो उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट के द्वारा नहीं की गई है। अगर उप तहसीलदार(राजस्व) हिन्दुमलकोट नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व आराजी विवादग्रस्त के सम्बन्ध में जांच करते तो ये मामला विवादित निकलता और इस सम्बन्ध में अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां आज के दिन लम्बित होने की वजह से नामान्तरकरण विवादग्रस्त को स्वीकृत करने का अधिकार उप तहसीलदार(राजस्व) हिन्दुमलकोट को हासिल नहीं था। नामान्तरकरण काबिल निरस्ती है।

10. यह कि उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट ने अपने जेर अपील इन्तकाल में ये अंकित किया है कि मुताबिक पटवारी/भू0अ0 निरीक्षक द्वारा तस्दीकशुदा कुर्सीनामा व प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है जबकि इस सम्बन्ध में धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार मौका की कोई जांच किसी किस्म की नहीं की गई है, चूंकि पटवारी हल्का अपने अंकन में ये लिखती है कि विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर वास्ते जांच पेश है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका की जांच करनी चाहिए थी जिसके लिए नामान्तरकरण प्रपत्र– (प–21) में खण्ड (ख) दिया हुआ है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक को मोका की जांच कर रिपोर्ट की जानी चाहिए थी लेकिन भू–अभिलेख निरीक्षक ने मात्र मिलान किया गया अंकन सही है अंकित करते हुए केवल अपने हस्ताक्षर किए है। इस प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक का यह अंकन जांच रिपोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई जांच स्वयं उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट द्वारा की गई है। इस प्रकार आदेश जेर अपील इन्ताकाल बिना कोई जांच किसी किस्म की करवाये व किये शिविर में महज निर्णित प्रकरणों की संख्या बढाकर दर्शित करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में विधि विपरित गलत पारित किया है जो हर सूरत में काबिल निरस्ती है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दुमलकोट द्वारा यकतरफा तस्दीक किया गया विवादग्रस्त विरास्तन नामान्तरकरण संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 जेर अपील को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में निम्नानुसार कथन किया कि :–

1. यह कि उक्त अनवान की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अपील अपीलांट द्वारा उप–तहसीलदार हिन्दूमलकोट के इन्तकाल संख्या 1074 दिनांकित 10.12.2021 के विरूद्व पेश की गई है।

2. यह कि विचारण न्यायालय द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 की 3.00 बीघा कृषि भूमि जो कि मृतक सुन्दरा बाई के नाम खातेदारी दर्ज थी , सुन्दरा बाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट इकबाल सिंह , प्रकाश कौर सतपाल सिंह के नाम से इन्तकाल तस्दीक हो गया था।

3. यह कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील इन्तकाल संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 को गलत तस्दीक किया गया है को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गई है, जबकि अपीलांट स्वयं स्वीकार करता है कि मृतका सुन्दरा बाई के वारिसान के नाम से ही इन्तकाल तस्दीक हुआ है।

4. यह कि सुन्दरा बाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से इन्तकाल तस्दीक हुआ है एवंम अपीलांट द्वारा उक्त अपील में उसके वारिसान को ही पक्षकार बनाया है एवंम् सुन्दरा बाई के वारिसान रेस्पोडेन्ट ही है अन्य कोई वारिस नहीं है और अपीलांट को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी नहीं है।

5. यह कि अपीलांट मृतक सुन्दरा बाई के वारिसान के नाम से इन्तकाल संख्या 1074 दिनांकित 10.12.2021 को तस्दीक हुआ है, को चुनौति देने का अधिकारी नहीं है क्योंकि मृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से इन्तकाल तस्दीक होगा ही।

6. यह कि अपीलांट द्वारा अपील में तथ्य दर्ज किये गये है कि कृषि भूमि अपीलांट के पिता द्वारा हाकम सिंह से जरिये बैयनामा खरीद की थी, जबकि मृतक सुन्दरा बाई हाकम सिंह की लड़की नहीं है। राम सिंह पुत्र शंकर सिंह की लड़की थी, उसको अपने पिता के हिस्से में 3 बीघा कृषि भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि का अंकन हो गया था, उसको अपीलांट चुनौति देने का अधिकारी नहीं है।

7. यह कि अपीलांट द्वारा जो कथन अपील में दर्ज किये गये है, उसको वाद पत्र (दावा) पेश करके ही निस्तारण करवाया जा सकता है। उक्त अपील में अपीलांट के अधिकार तय नहीं होते है और ना ही अपील में कोई टाईटल मिलता है।

8. यह कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में दावा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में पेश किया था, उक्त दावा अपीलांट का दिनांक 22.01.2019 को खारिज हो गया था, उसके उपरांत उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की , उक्त अपील अपीलांट दिनांक 10.12.2024 को खारिज हो गई जिसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, उक्त अपील में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है अर्थात अपीलांट के कोई अधिकार नहीं है। पूर्व में दस्तावेजात पेश किये हुए है।

9. यह कि इस सम्बन्ध में कानून स्पष्ट है कि अपीलांट को अपने हक व अधिकार साबित करने है तो जरिये वाद पेश करके ही कर सकता है। अपील में इस सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और ना ही अपीलांट के अपील में हक व अधिकार साबित होते है।

10. यह कि अपीलांट का अपीलाधीन कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही अपीलांट अपील पेश करने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट द्वारा जो वाद पेश किया था, उसको खारिज फरमा दिया गया था, उसमें अपीलांट के कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं माने है। इसलिये भी अपीलांट अपील पेश कराने का अधिकार नहीं है।

11. यह कि सुन्दरा बाई के अन्य भाई–बहिनों के नाम से भी कृषि भूमि दर्ज थी, उसके वारिसान के नाम भी इन्तकाल तस्दीक हुये थे, उसको भी अपीलांट ने चुनौति दी थी। प्रथम दृष्टया उक्त अपील में अपीलांट के कोई अधिकार नहीं माने है।

12. यह कि अपील अपीलांट ने अपील में तथ्य दर्ज किये है कि बिना जांच किये इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जबकि सुन्दरा बाई के अन्य कोई वारिस नहीं है, उसको भी अपीलांट स्वीकार करता है। इसलिये भी अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं है।

13. यह कि अपीलांट का अपीलाधीन कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और ना ही उक्त अपील में कोई अधिकार तय होने है। इसलिये अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

14. यह कि जब किसी खातेदार जिसके नाम से जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है, उक्त प्रकरण में सुन्दरा बाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से इन्तकाल तस्दीक हुआ है, जिसकी चुनौति नहीं दी जा सकती।

15. यह कि अपीलांट विचारण न्यायालय के आदेश से प्रभावित है इसलिये अपीलांट अपील पेश करने का अधिकारी नहीं है।

लिहाजा रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है, इसलिये अपील खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 प्रशासन गांवों के संघ अभियान में एकतरफा बिना अपीलांट को सुने स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन भूमि चक 3 सी. बड़ी के मुरब्बा नम्बर 07 की 25 बीघा भूमि नॉन क्लेमैन्ट जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। उक्त भूमि पुनर्वास विभाग की होने के कारण उक्त भूमि में सभी छः वारिसों को भूमि में बराबर का हिस्सा था। जीवों का अंकन बैसिक रजिस्टर 28.06.1957 में है। उक्त विवादित भूमि का घरू बंटवारा 12.10 बीघा के हिसाब से दोनों भाईयों द्वारा किया गया था। राम सिंह ने अपने हिस्सा में मुरब्बा नम्बर 07

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि वर्ष 1963 में बेचान कर दी थी । शेष रकवा हाकम सिंह का था जिसने अपने हिस्सा की भूमि वर्ष 26.12.1979 को अपीलांट के वारिसों को बेच दी थी। उक्त विवादित भूमि पर अपीलांटस का 47 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर में चला था जो खारिज हो गया, जिराकी अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रस्तुत की गई , उक्त अपील भी खारिज हो गई। अब वर्तमान में उक्त विवादित भूमि की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन होते हुए भी उक्त विवादित भूमि का बेचान दिनांक 22.12.2021 को भू–माफियों को कर दिया गया। उक्त विवादित भूमि की पानी की पर्ची एवं उक्त विवादित भूमि का राजस्व (मामला) अपीलांट द्वारा जमा करवाया गया है, जो अपीलांट के नाम से है। उपखण्ड अधिकारी के दावा में जो रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया उसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं बनता। उक्त विवादित भूमि वर्ष 1963 व 1979 में जरिये बैयनामा बेचान हो चुकी है। जब तक उक्त बैयनामा को कैंसिल नहीं करवा देते तब तब उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में बाद के बैयनामा लागू नहीं होगें, पहले के बैयनामें ही लागू होगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कब्जा किसका है, कोई जांच नहीं की गई एव ना ही उक्त विवादित भूमि के इन्तकाल को स्वीकृत करते समय लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स की भी पालना की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त फरमाया जावें।

जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की हैः–

1- 2023(1) DNJ (Rev) page-103-105
2- RRD14-09-2019 page 582-588
3- 2021(2) DNJ (Rev) Page 881-884
4- S.C.959
5- RRD 1997 Page 143-146

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट के विरास्तन इन्तकाल संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 के विरूद्व पेश की है, जो कि खातेदार मृतका सुन्दराबाई के वारिसान के नाम से तस्दीक हुआ है। मृत्का सुन्दराबाई के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 इकबाल सिंह, प्रकाश कौर, सतपाल है, इसके अलावा कोई वारिस नहीं है जिसकी अपीलांट को भी कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट का उक्त विवादित कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा सुन्दराबाई पुत्री राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह से कृषि भूमि खरीद नहीं की है। अपीलांट द्वारा गैरखातेदारी कृषि भूमि हुक्म सिंह पुत्र शंकर सिंह से खरीद की है जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बैयनामों से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जिससे खरीद की है उसको अपील में पार्टी ही नही बनाया गया है क्योंकि उक्त इन्तकाल में अंकित विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 (मृतका) सुन्दराबाई पुत्री राम सिंह पुत्र शंकर सिंह द्वारा अपीलांट को कोई भूमि बैय/विक्रय ही नहीं की गई है। अपीलांट के पिता करतार सिंह द्वारा गैरखातेदारी कृषि भूमि हुक्म सिह पुत्र शंकर सिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 26.12.1979 क्रय की गई है, जो गैरखातेदारी क्रय की गई जबकि गैरखातेदारी भूमि का बैयनामा नहीं हो सकता।

जिसके सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2017(2) 991 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER , REVISION LR NO 2426/ALWAR OF 2004 DECIDED ON 25 Th NOV., 2016 SIBBURAM & ORS. VS SMT BASANTI & ORS.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Rajasthan tenancy Act, 1955-Secs. 41 & 45- Transfer of gair-khatedari rights-Land transferred in the year 1981 & khatedari rights were given in 1993- transfer is void ab-initioi.
Imp. Point:- Gair Khatedari land cannot be transferred & such transfer is void ab initio.

अपीलांट्स के पिता ने हुक्म सिंह पुत्र शंकर सिंह से उक्त विवादित भूमि गैरखातेदारी खरीद की थी जबकि रेस्पोडेन्ट्स की माता सुन्दराबाई मृतक राम सिंह पुत्र शंकर सिंह की पुत्री है जो पत्रावली में उपलब्ध दावों की प्रति से प्रमाणित है। रेस्पोडेन्ट्स सुन्दराबाई के वारिसान है, सुन्दराबाई की मृत्यु के पश्चात सुन्दराबाई के वारिसान के नाम से विरास्तन इन्तकाल हुआ है। अपीलांधीन कृषि भूमि गैरखातेदारी थी , उसके पश्चात खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। पत्रावली में उपलब्ध सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के आदेश के अवलोकन से पाया कि उक्त विवादित भूमि की सनद भी जारी हुई है जिसे अपीलांट/किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई । अपीलांट द्वारा अपील मीमों में जो कथन किये है उसका निस्तारण वादपत्र पेश करके ही किया जा सकता है। उक्त अपील में अपीलांट्स के कोई अधिकार तय नहीं होने है और ना ही अपील में अपीलांट्स को कोई मालिकाना हक मिलना है। अपीलांटस् द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्वन्ध में एक वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रक) श्रीगंगानगर के समक्ष बअनवानी राम सिंह बनाम मखन सिंह पेश किया गया था, जो दिनांक 22.01.2019 को खारिज हो गया था, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के पेश की गई जो दिनांक 10.12.2024 को खारिज हो चुकी है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन है जिसमें कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है। अपीलांट को उक्त विवादित भूमि के सम्वन्ध में अपने अधिकार दावा में तय करवाने थे जबकि अपीलांट के दावे खारिज हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा जो इन्तकाल संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 स्वीकृत किया गया है वह सुन्दराबाई पुत्री राम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह के वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलांट के पिता करतार सिंह द्वारा गैरखातेदार कृषि भूमि हुक्म सिह पुत्र शंकर सिंह से जरिये बैयनामा दिनांक 26.12.1979 क्रय की गई है जिसका उक्त विरास्तन इन्तकाल में अंकित भूमि से कोई सम्बन्ध में नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1074 दिनांक 10.12.2021 को बहाल रखा जाता है आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर